भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 253

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

डिजिटल भू-अभिलेख

***253. श्री सुरेश कुमार शेटकर :**

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसान और भू-स्वामी भू-अभिलेखों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, यदि हां, तो इसकी सुलभता के लिए अपनाए गए उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या त्वरित कृषि और संपत्ति ऋण, सुगमता से प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिजिटल भू-अभिलेखों के साथ एकीकृत किया गया है, यदि हां, तो इससे प्राप्त होने वाले लाभों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा विवादों को कम करने के लिए 'जियो-रेफरेंसिंग' और सटीक सीमा मानचित्रण तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल भू-अभिलेखों और विशिष्ट भूमि पहचान संख्या के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भूमि के स्वामित्व की जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहीत करते समय गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने में पुराने अभिलेखों की समस्याओं और तकनीकी बाधाओं सहित राज्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 253 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) जी, हां। भारत सरकार देश में भूमि अभिलेखों/रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण/कम्प्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्र सरकार से 100% वित्तीय सहायता के साथ डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, नागरिकों को भूमि संबंधी रियल टाइम सूचना प्रदान करने और विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। चूंकि, भूमि अभिलेखों के रखरखाव सहित भूमि और भूमि राजस्व, संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की क्रम संख्या 18 और 45 में सूचीबद्ध राज्य का विषय है, जिसमें भूमि राजस्व, राज्य विशिष्ट अधिनियमों/नियमों/विनियमों द्वारा अभिशासित होता है, इसलिए भूमि अभिलेख संबंधी डाटा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने पोर्टलों पर उपलब्ध कराया गया है।

डीआईएलआरएमपी की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अनुसार, 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) नागरिकों द्वारा डाउनलोड किए जाने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन पोर्टल का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) जी, हां। यद्यपि डीआईएलआरएमपी के तहत भूमि अभिलेखों के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एकीकरण के लिए कोई अलग घटक नहीं है, तथापि लगभग 16 राज्यों नामतः तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने किसानों को बैंक से त्वरित कृषि और संपत्ति ऋण प्राप्ति को सुगम बनाते हुए बैंकों तक पहुंच प्रदान की है। यह ऑनलाइन सुविधा बैंकों को ऋण आवेदनों की सत्यता की जांच करने में सक्षम बनाती है, जिससे ऋण की स्वीकृति शीघ्र होती है। इस संयोजन से किसानों को यह जांचने में भी मदद मिलती है कि क्या कोई भूमि बंधक है, जिससे भूमि खरीदने से पूर्व संसूचित निर्णय लेना सुगम होता है।

(ग) जी हां, सीमा विवादों को न्यूनतम करने के लिए सीमाओं का सटीक निर्धारण करने के क्रम में डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम के भाग के रूप में भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण और उन्हें भू-संदर्भित किया जाता है। अब तक, 58 करोड़ भू-खंडों में से 43 करोड़ भू-खंडों (74 प्रतिशत) को भू-संदर्भित किया गया है। इनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) जी, हां। डीआईएलआरएमपी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आईईसी और मूल्यांकन अध्ययन घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा स्लाइड, पोस्टर, वीडियो फिल्म, रोड शो, प्रकाशनों, साहित्य, आदि के माध्यम से कार्यक्रम की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए विभिन्न मीडिया और मंचों में राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर जागरूकता सृजन के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ङ) संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डिजिटलीकृत ऑनलाइन भूमि अभिलेखों को निर्धारित आईटी संबंधी मानदंडों के अनुसार भूमिका आधारित पहुंच, सुरक्षित सर्वर और डाटा सुरक्षा उपायों को समाविष्ट करते हुए अद्यतित और उनका रखरखाव किया जाता है। चूंकि भूमि अभिलेखों के रखरखाव सहित भूमि और भूमि राजस्व, राज्य का विषय है, इसलिए मंत्रालय द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का भूमि अभिलेख संबंधी डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसे संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के सर्वर पर संग्रहीत किया जाता है।

(च) जी, हां। इस विभाग ने वर्ष 2024-25 में स्वतंत्र संस्थानों/ संगठनों के माध्यम से सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में डीआईएलआरएमपी का मूल्यांकन कराया है। मूल्यांकन संबंधी अध्ययनों में पाया गया है कि भूमि अभिलेखों का मूलभूत डिजिटलीकरण काफी हद तक कर लिया गया है। वर्ष 2021-22 और 2024-25 के बीच, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण 91 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत और भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण 68 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में चुनौती, विशेष रूप से अनुसूची-VI वाले क्षेत्रों में भूमि के सामुदायिक स्वामित्व की है। इस विभाग ने इन क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में आने वाली चुनौतियों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। इस विभाग ने डीआईएलआरएमपी के क्रियान्वयन में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के समक्ष आने वाली तकनीकी बाधाओं का समाधन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को भी शामिल किया है।

डीआईएलआरएमपी के तहत, राजस्व और रजिस्ट्रीकरण विभागों के पुराने अभिलेखों को डिजिटलीकृत करने संबंधी प्रावधान पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा, व्यय विभाग, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पुराने रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों को ऑनलाइन रखने, खोज योग्य बनाने और नागरिकों द्वारा डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध रखने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी प्रावधान किए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 253 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य की वेबसाइट का यूआरएल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	http://db.and.nic.in/ROR/view1/formf.aspx
2	आंध्र प्रदेश	https://meebhoomi.ap.gov.in/#
3	अरुणाचल प्रदेश	नहीं है
4	असम	www.ilrms.assam.gov.in
5	बिहार	https://biharbhumi.bihar.gov.in
6	चंडीगढ़	https://revenue.chd.gov.in
7	छत्तीसगढ़	https://bhuiyan.cg.nic.in/
8	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	https://dnh.nlrmp.in/avanika/
9	दिल्ली	https://dlrc.delhigovt.nic.in
10	गोवा	https://dslr.goa.gov.in
11	गुजरात	https://anyror.gujarat.gov.in/
12	हरियाणा	https://jamabandi.nic.in/defaultpages/default
13	हिमाचल प्रदेश	https://ehimbhoomi.nic.in/
14	जम्मू एवं कश्मीर	https://landrecords.jk.gov.in
15	झारखंड	https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in/
16	कर्नाटक	www.landrecords.karnataka.gov.in/service2
17	केरल	www.revenue.kerala.gov.in
18	लद्दाख	नहीं है
19	लक्षद्वीप	https://land.utl.gov.in/Process/Login-Page
20	मध्य प्रदेश	https://mpbhulekh.gov.in
21	महाराष्ट्र	https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink
22	मणिपुर	https://louchapathap.nic.in
23	मेघालय	नहीं है
24	मिजोरम	नहीं है
25	नगालैंड	नहीं है
26	ओडिशा	http://bhulekh.ori.nic.in
27	पुदुचेरी	www.nilamagal.py.gov.in
28	पंजाब	https://jamabandi.punjab.gov.in
29	राजस्थान	https://apnakhata.rajasthan.gov.in/
30	सिक्किम	https://ilrms.sikkim.gov.in/
31	तमिलनाडु	https://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/index.html
32	तेलंगाना	https://bhubharati.telangana.gov.in/knowLandStatus
33	त्रिपुरा	www.jami.tripura.gov.in
34	उत्तर प्रदेश	https://upbhulekh.gov.in
35	उत्तराखंड	https://bhulekh.uk.gov.in
36	पश्चिम बंगाल	https://banglarbhumi.gov.in/BanglarBhumi/Home.action

अनुलग्नक-II

दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 253 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

		भू-खंडों की संख्या		
		कुल	भू-संदर्भित	
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**संख्या**	**%**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	89,790	4,017	4.47
2	आंध्र प्रदेश	1,04,86,616	1,04,86,616	100.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00
4	असम	1,02,52,572	63,10,193	61.55
5	बिहार	3,70,26,819	3,70,26,819	100.00
6	चंडीगढ़	31,677	31,677	100.00
7	छत्तीसगढ़	1,84,54,938	1,50,53,839	81.57
8	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1,16,976	71,872	61.44
9	दिल्ली	6,768	0	0.00
10	गोवा	7,56,189	7,56,189	100.00
11	गुजरात	94,66,371	94,66,371	100.00
12	हरियाणा	1,79,35,052	61,27,578	34.17
13	हिमाचल प्रदेश	1,39,62,315	1,19,19,995	85.37
14	जम्मू एवं कश्मीर	68,36,683	62,00,609	90.70
15	झारखंड	2,27,41,806	2,27,41,806	100.00
16	कर्नाटक	1,65,79,711	1,43,48,751	86.54
17	केरल	3,19,20,288	53,53,973	16.77
18	लद्दाख	3,78,721	69,450	18.34
19	लक्षद्वीप	79,738	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	4,73,03,908	4,05,57,758	85.74
21	महाराष्ट्र	1,40,78,965	1,40,08,945	99.50
22	मणिपुर	5,84,832	3,74,777	64.08
23	मेघालय	0	0	0.00
24	मिजोरम	3,31,171	1,59,648	48.21
25	नगालैंड	0	0	0.00
26	ओडिशा	5,99,42,568	7,07,593	1.18
27	पुदुचेरी	1,75,695	0	0.00
28	पंजाब	1,95,00,852	1,09,48,316	56.14
29	राजस्थान	4,55,89,524	4,53,00,391	99.37
30	सिक्किम	5,72,386	1,35,794	23.72
31	तमिलनाडु	5,61,32,005	5,61,32,005	100.00
32	तेलंगाना	36,78,189	29,84,542	81.14
33	त्रिपुरा	33,14,252	33,14,252	100.00
34	उत्तराखंड	2,83,83,895	2,83,81,458	99.99
35	उत्तर प्रदेश	5,48,77,690	5,26,07,039	95.86
36	पश्चिम बंगाल	4,99,84,268	2,95,89,198	59.20
	कुल योग	58,15,73,230	43,11,71,471	74.14
	स्रोत: http://dilrmp.gov.in			

*****